<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-127/2020/1109/41-2020-29(बजट)/2020</u>

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2020

<u>संख्या-106/2020/845/41-2020-29(बजट)/2020 दिनांक 17.03.2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद गोण्डा के विधानसभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत परासर मुनि आश्रम परास पट्टी मझवार की जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास कराये जाने विषयक निर्गत शासनादेश **संख्या-106/2020/845/41-2020-29(बजट)/2020 दिनांक 17.03.2020** के प्रस्तर-2 में इंगित धनराशि रू0 129.39 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात धनराशि रू0 64.69 लाख (रूपये चौंसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि को जिलाधिकारी, गोण्डा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश **संख्या-106/2020/845/41-2020-29(बजट)/2020 दिनांक 17.03.2020** के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर टंकित **मुख्य कोषाधिकारी गोण्डा** को विलोपित करते हुए **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया जाता है। शासनादेश दिनांक **17.03.2020** की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई- 386/दस-2020 दिनांक 30 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-127/2020/1109/41-2020-29(बजट)/2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोण्डा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 गोण्डा ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी अयोध्या।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in